# जन-विरोधी नवउदारवादी नीतियों और सांप्रदायिक विभाजनकारी विनाश से देश को बचाने के लिए सभी मेहनतकश साथी एकजुट होकर वामपंथ को मजबूत करो और भाजपा को निर्णायक रुप से परास्त करो!

17वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने के लिए मतदान का पहला चरण एक पखवाड़े में शुरू होगा। हम, मजदूर अक्सर सोचते हैं कि चुनाव राजनीतिक दलों की कुश्ती का अखाड़ा जैसी चीज हैं; हमें इससे कोई लेना–देना नहीं है; हमारा काम केवल अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देना है।

नहीं कामरेड और दोस्त नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मामला यह नहीं है। यह केवल राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, यह तो केवल बाहरी तौर पर लगता है। बेशक, कुछ एक 'आया राम, गया राम' और 'कुदफान्द करने वाले जोकर' चुनावों को कभी–कभार मनोरंजन देने वाले सर्कस में बदल देते हैं, जो कभी–कभी सबसे अच्छा तमाशा बनकर हमारा ध्यान खींचते हैं। लेकिन यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए।

चुनाव जिनके माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जिन्हे हमारा प्रतिनिधित्व करना होता है और हमारी मांगों की आवाज बनते हैं और संसद के अंदर हमारे संघर्षों का समर्थन करते हैं, वे हम सभी मेहनतकशों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए यह हमारी लड़ाई है।

विशेष रूप से, 17वीं लोकसभा का यह चुनाव इस देश के मजदूर वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। इसका परिणाम, शायद पहले जैसा नहीं है, हमारे देश के भविष्य को एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में निर्धारित करेगा जहाँ आम जनता को उनके संवैधानिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है; यह निर्धारित करेगा कि क्या मजदूर मेहनतकश तबके अपने धर्म, जाति, क्षेत्र आदि की परवाह किए बिना एकजुट हो सकें और इन अधिकारों को हासिल करने के लिए, एकजुट होकर अधिकारों से वंचित करने वाली नीतियों से लड़ने के लिए संगठित हो सकें।

प्रमुख राजनीतिक दल चाहते हैं कि हम यह मान लें कि यह हमारी नहीं, उनकी लड़ाई है। वे हमें नागरिक नहीं मानते जिनको देश और उसकी जनता के विथिन्न मुद्दों तथा सत्तासीनों द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियों के बारे में सोच–समझ रखने और उसे व्यक्त करने का अधिकार एवं दायित्व है। वे हमें केवल मतदाता ही मानते हैं, जिनका काम एक बार वोट देने के बाद खत्म हो जाता है।

यह हो सकता है, और यह है भी कि प्रमुख राजनीतिक दलों और सभी नही ंतो अधिकांश क्षेत्रीय दलों के लिए एक व्यापार, जिसमें पैसा लगाकर, अगले पांच वर्षों में विभिन्न तौर तरीकों से कई गुना रिटर्न हासिल करने का अवसर है। लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए हमारा एवं हमारे बच्चों का भविष्य और हमारे देश का भविष्य, हमारा राष्ट्र दांव पर है। यह हमीं हैं जो अपने खून–पसीने से इस देश का निर्माण करते हैं। ये हमारे बेटे–बेटियां हैं, जो इस देश की रक्षा करते हैं। हम शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण स्थिति चाहते हैं; ऐसी स्थितियां जो हम सभी को एक साथ काम करने में सक्षम बनाती हैं, हमारे देश के विकास और उन्नति के लिए हमारे सभी मानव व प्राकृतिक, और सभी ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर सकें।

इसीलिए खुद को केवल मतदान तक सीमित रखकर हम इस तमाशे के दर्शक नहीं बने रह सकते हैं।

हमारे मुद्दे, हमारे देश की मेहनतकश जनता के मुद्दे, इस देश के धन का उत्पादन करने वाले मजूदर और किसान, चुनाव के दौरान प्रमुख राजनीतिक दलों की चर्चा का केंद्र बिन्दु कभी नहीं बनते रहे हैं। उनका मानना है कि वे वे अपने बेहिसाब धन, जो वास्तव में हमारा ही है, और जिसे वे सत्ता में रहते हुए संचित करने में सफल रहे हैं, को खर्च करके हमें प्रभावित कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वे वोटों के लिए उन

सपनों को बेच सकते हैं जिन्हें वे सत्ता में आने के बाद लागू ही नहीं करेंगे। वे यह भी सोचते हैं कि वे हमें प्रभावित करने और हमारे वोट प्राप्त करने के लिए धर्म, जाति, क्षेत्र आदि में उलजा सकते हैं।

बेशक यह लंबे समय से हो रहा है। हम में से कई लोग उनके वादों पर विश्वास करते थे; हम में से कई लोग उनके भाषणों से प्रभावित होते रहे थे जो अक्सर सांप्रदायिक, जातिवादी और क्षेत्रीय अराजकतावादी भावनाओं से ग्रस्त थे। उन्होने और उनकी पार्टियों ने हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी और काम के हालातों में संधार करने के लिए संसद में क्या किया है, की जाँच करने से हमारा ध्यान हटाने में सफल रहे हैं। वास्तव में, वे हम में से अधिकांश को गुमराह करने में सक्षम रहे हैं, और हमें यह पहचानने और महसूस करने से भी रोकते रहे कि कौन और कौन सी पार्टी लगातार हमारे साथ खड़ी थी, हमारी मांगों का समर्थन किया और संसद और अन्य विधायी निकायों के अंदर हमारे लिए लड़ाई लड़ी; और किसने हमारे जीवन को दयनीय बनाने वाली नीतियों की वकालत की और समर्थन किया।

हमें याद रखना चाहिए कि पिछले संसदीय चुनावों में भी ऐसा हुआ था, जब हम मान बैठे थे कि मोदी के सत्ता में आने पर 'नौकरियां पैदा होंगी, भ्रष्टाचार मिटेगा, कीमतों में भारी गिरावट आएगी' और 'अच्छे दिनों' का दौर शुरू होगा। हम में से अनेक लोगों ने भाजपा को वोट दिया और अब हम सभी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

न केवल हमारी स्थिति, बल्कि मजदूरों और कर्मचारियों, किसानों और खेत मजदूरों तथा कारीगरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। असल में तो, हम में से अधिकांश के लिए, हालात खराब हो गए हैं।

इन चुनावों की पूर्व संध्या पर, जब हम फिर से मतदान करने वाले हैं, क्या हमारे लिए यह जाँच का समय नहीं है कि कैसे और क्यों? हमारे लिए यह स्पष्ट करने का समय आ गया है कि हमारा वोट यूं ही नहीं जा सकता है। हम अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर जांच करने, विश्लेषण करने और निर्णय करने के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे कि वोट किसे देना है।

हां, हम में से कई लोगों ने पिछले चुनावों में भाजपा को वोट दिया था। बेशक भाजपा ने कभी भी मजदूरों से चांद का वादा नहीं किया। उसने 2014 में अपने चुनावी घोषणापत्र में यह कहा था कि वह निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए 'श्रम कानूनों में सुधारों' को आगे बढ़ाएगी। भाजपा और मोदी जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गये कि निवेशकों के लिए ऐसा 'अनुकूल माहौल बनाकर, मोदी साल में दो करोड़ रोजगार पैदा करने के वादे को पूरा कर पाएंगे। कर्मचारी और मजदूर समझ नहीं सके कि 'श्रम कानून सुधारों 'का वास्तविक असर क्या होगा? सत्ता में आने के तुरंत बाद, मोदी सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स' की सीढ़ी चढ़ने के उपायों को अपनाया। उसने तथाकथित 'श्रम कानूनों में सुधारों' को तेज कर दिया, जिसने नियोक्ताओं को अपनी मनमर्जी से मजदूरों को काम पर रखने और बाहर करने को सक्षम बना दिया। श्रम 'लचीला' बन गया; नियोक्ताओं, बड़े कॉरपोरेटस् और व्यावसायिक घरानों के लाभ के लिए श्रम कानून 'लचीले' बना दिये गये। विदेशी निवेशकों के लिए 'मेक इन इंडिया' का आमंत्रण दिया कि आओ, हमारे मजदूरों को लूटो; हम पूरी छूट देंगे'

**इसका परिणाम क्या है?**

**कामकाजी स्थितियों का खराब करना**

पहले से ही, तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा हमारे देश में नवउदारवादी नीतियों के आगमन के बाद, स्थायी मजदूरों की जगह ठेका मजदूरों को लिया जा रहा था। अब मोदीनीत भाजपा सरकार के तहत, ठेका मजदूरों को भी धीरे–धीरे आउटसोर्स कर्मचारियों, निश्चित अवधि के कर्मचारियों, अप्रेन्टिसों और प्रशिक्षुओं द्वारा बदला जा रहा है। कोई स्थायी नौकरी नहीं; नौकरी की सुरक्षा नहीं; कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं; हमारे या हमारे बच्चों को कोई श्रम अधिकार नहीं। लाखों मजदूरों को आज उनकी घटती सौदेबाजी और उनकी

बिगड़ती कामकाजी स्थितियों के साथ छोड़ दिया गया है। मोदी सरकार ने चार 'श्रम संहिताऐ (कोडस्)' तैयार किये हैं ताकि मजदूर वर्ग की संगठित होने और संगठित होकर संघर्ष करने की शक्ति को छीनकर निहत्था बनाया जा सके। यह मजदूरों को नियोक्ताओं की दया पर जीने के लिए गुलामों की तरह के हालात में धकेलने की कोशिश है। क्या यही हम चाहते थे?

**बढ़ती बेरोजगारी**

क्या इससे रोजगार सृजन हुआ है? हरगिज नहीं; सी.एम.आई.ई. (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) की रिपोर्ट के अनुसार, अकेले 2018 में ही 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां चली गईं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (एनएसएसओ) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017–18, जिसे भाजपा सरकार ने दबाने की कोशिशें की गयी, इसकी रिपोर्ट है कि 2011–12 से 2017–18 के बीच 4.7 करोड़, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 4.3 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 0.4 करोड़ रोजगार हानि हुई थी। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं।

लाखों छोटे और मध्यम उद्यमों को अभी तक नोटबन्दी और जीएसटी के प्रकोप से उबरना बाकी है। इन उद्यमों में कार्यरत लाखों मजदूरों को अपनी नौकरी और कमाई की वसूली करना बाकी है। बेरोजगारी 45 साल में सर्वाधिक हो गई है!

**वेतन में ठहराव**

वेतन में ठहराव आया है। कई क्षेत्रों में मजदूरों का वेतन घट गया है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी रिपोर्ट 2018 के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर 67% परिवारों की आमदनी प्रति माह 10,000 रुपये से भी कम है। श्रम ब्यूरो की 2015–16 की रिपोर्ट के अनुसार, स्व–रोजगार में 57% लोगों की अधिकतम मासिक आय 7,000 रुपये थी। कुल कर्मचारियों के 50% से अधिक की औसत मासिक आय केवल 5,000 रुपये तक ही थी। मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7$^{वें}$ वेतन आयोग की सिफारिशों को मानने के बावजूद राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के रूप में 18,000 रुपये प्रति माह अधिसूचित करने से इनकार कर दिया है। हाल ही में 'राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने की कार्यप्रणाली' निर्धारित करने के लिए इसके द्वारा नियुक्त एक 'विशेषज्ञ समिति' ने एक मनमानी और हास्यास्पद सिफारिश की है कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 9,750 रुपये प्रति माह होना चाहिए; यानी 7$^{वें}$ वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग आधा, जिन सिफारिशों को भाजपा सरकार द्वारा स्वीकारा गया और 2016 से पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा माँग की जा रही है। 15$^{वें}$ भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा न्यूनतम वेतन तय करने के लिए परिवार के आकार को 3 से बढ़ाकर 3.6 करने के बाद भी! परिवार का आकार बढ़ाया है, लेकिन आवश्यकताओं में कमी कर दी है! कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन वेतन में कमी आनी चाहिए! इसका क्या मतलब है? कि मजदूरों को काम करना चाहिए, लेकिन उन्हें और उनके परिवारों को भूखा ही रहना चाहिए ?!

**कल्याण का कमजोर होना**

लगभग 1 करोड़ योजनाकर्मियों को उम्मीद थी कि कम से कम उन्हें 45$^{वें}$ भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार 'श्रमिक' के रूप में पहचाना जाएगा, उनकी स्थितियों में सुधार किया जाएगा, उन्हे निराश किया और संसदीय चुनाव से ठीक पहले तक पूरी तरह से भूल गए। फिर भी, मध्यान्ह भोजन कर्मी 'छूट गए'! इतना ही नहीं, इन योजनाओं का निजीकरण करने की पूरी कोशिश की, सरकार ने गरीब महिलाओं और बच्चों को न्यूनतम कल्याण लाभ से वंचित किया जो उन्हें इन योजनाओं के तहत मिल रही थीं। यह भी, पैक खाद्य निर्माताओं और कॉरपोरेट एनजीओ के मुनाफे लाभ के लिए। इस बात का श्रेय केवल देश भर के योजनाकर्मियों के भारी संघर्ष को जाता है कि भाजपा सरकार अपनी इच्छानुसार इन योजनाओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकी, जैसी कि सिफारिश नीति आयोग ने की थी।

## कॉरपोरेट्स के व्यवसाय में आसानी, मजदूरों का जीना मुहाल

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के इस जुनून से किसे फायदा होता है? मजदूरों को? नहीं। बेरोजगारों को? नहीं। क्या देश ने सार्थक रोजगार को पैदा करने वाले किसी नए निजी निवेश को आकर्षित किया? फिर से, यह भी नहीं। केवल बड़े कॉरपोरेट्स और व्यापारिक घराने ही हैं जिन्होंने इस देश के मजदूरों और मेहनतकशों की कीमत पर धन–दौलत बटोरी है। आज, हमारे देश में अम्बानी, अदानी, इत्यादि 9 व्यक्तियों के पास, आबादी के निचले आधे हिस्से अर्थात देश के लगभग 65 करोड़ लोगों के बराबर धन–दौलत है। मजदूरों का शोषण करने के अलावा, शेयर बाजार में उनके निवेश के माध्यम से भी उनकी संपत्तियों में बढ़ोत्तरी हुई है। वास्तव में वे रोजगार पैदा करने वाले उत्पादन और विनिर्माण की तुलना में शेयर बाजार में निवेश करना अधिक लाभदायक मानते हैं। वे उत्पादन नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें अपने उत्पादों को देश या विदेश में बेचना मुश्किल हो रहा है, विशेष रूप से 2008 के वैश्विक संकट के बाद से जो अभी तक भी जारी है।

और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, मोदी सरकार मजदूरों की गाढ़ी कमाई को शेयर बाजार में डाल रही है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी मंडल में मजदूरों के प्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद, पहले ही शेयर बाजार में भविष्य निधि संचय का 15% निवेश करने का फैसला किया है। सरकार ने विरोध के बावजूद रिलायंस कंपनी के माध्यम से सट्टेबाजी के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) फंड के 75,000 करोड़ रुपये को लगाने का फैसला किया है। अब असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन योजना का एक और जुमला आया है। जबकि एक असंगठित मजदूर को आज से 20 वर्ष से अधिक समय के लिए योगदान करना पड़ेगा, लेकिन वापसी केवल 3000 रुपये की मासिक पेंशन होगी; कोई नहीं जानता कि 20 साल बाद इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। उसकी मृत्यु के बाद, उसके जीवन साथी को पेंशन मिलेगी; जीवनसाथी की मृत्यु के बाद, सारी जमा राशि सरकार के पास चली जाएगी जो बड़े मगरमच्छों के फायदे के लिए उस पूरे पैसे को शेयर बाजार में निवेश करेगी। मजदूर के परिवार को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। धोखधड़ी की क्या एक दम नई खोज है ?!

## नवउदारवादी नीतियाँ-जनता का धन कॉरपोरेटस् के हाथों में

मोदी सरकार इतनी मजदूर विरोधी क्यों है? आखिरकार, मजदूर और कर्मचारी ही जनता के उन बड़े तबकों के हिस्से हैं, जो उस पर विश्वास करते थे और उसके लिए मतदान किया था! आईएलओ द्वारा यह स्पष्ट करने के बावजूद कि 'श्रम बाजार में लचीलेपन में वृद्धि ही, वेतन की हिस्सेदारी में गिरावट' और इस प्रकार मजदूरों की जीवन के बदतर हालात के पीछे प्रमुख कारक है?

ऐसा इसलिए है, क्योंकि भाजपा और मोदी नवउदारवादी नीतियों के कट्टर समर्थक हैं, जो कि कांग्रेस ने इन तथाकथित 'आर्थिक सुधारों' से शुरू की थीं। नवउदारवादी एजेंडे के तहत सरकारें, मजदूरों, जनता और देश व उसकी सार्वजनिक सम्पदा की कीमत पर देशी–विदेशी बड़े कॉरपोरेट, को लाभ पहुंचाने के लिए नीतियां बनाती हैं। इसलिए यही वजह है कि मुकेश अंबानी की जियो को बी.एस.एन.एल. की कीमत पर प्रधान मंत्री के अलावा किसी और के द्वारा प्रचारित नहीं किया गया है। इसलिए यह है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की कीमत पर राफेल के लिए ऑफसेट पार्टनर के रूप में चुने जाने वाली अनिल अंबानी की नई कंपनी, जिसे एयरोनॉटिकल मैन्युफैक्चरिंग में कोई अनुभव नहीं है ही दिखाइद्य दी। इसलिए यह है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के हवाई अड्डा प्राधिकरण के प्रबंधन में चल रहे सभी छह हवाई अड्डों को गौतम अडानी को सौंप दिया जाता है जिसके पास हवाई अड्डों के प्रबंधन का कोई अनुभव नहीं है। यह एक लम्बी सूची है। और इसलिए यह है कि लाल किले सहित रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों और प्रतिष्ठित प्राचीन स्मारकों को बड़े निजी कॉर्पोरेट्स – बंसल, डालमिया आदि को प्रबंधन के लिए सौंपा जा रहा है।

**वेकअप इण्डिया! 'मेक इन इंडिया' एक जालसाजी है!**

मीडिया में तमाम विज्ञापनों के बावजूद, मोदी का 'मेक इन इंडिया' नारा बड़ी जालसाजी साबित हुई है! वास्तव में हो क्या रहा है कि निजी बहुराष्ट्रीय निगमों को लाभ पहुंचाने के लिए निजीकरण के माध्यम से रोजगार सृजन करने वाले हमारे विनिर्माण उद्योगों को जानबूझकर नष्ट किया जा रहा है। ये बहुराष्ट्रीय निगम जो अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाजार की तलाश में हैं, और निरंतर वैश्विक मंदी में फंसे है, मोदी सरकार में एक इच्छुक साझेदार और दोस्त देख रहे हैं।

आइए हम मोदी सरकार के 'राष्ट्रवाद' और 'देशभक्ति के दावों पर एक नजर डालें, जो हमें प्रभावित करने की एक और चाल है। सत्ता में आने के तुरंत बाद, इसने योजना आयोग को ध्वस्त कर दिया, नीति आयोग को नियुक्त किया और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची तैयार करने, सार्वजनिक क्षेत्र, जो हमारे देश के औद्योगिक आधार और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है, का विनिवेश करने और निजीकरण करने की जिम्मेदारी दी गयी। रक्षा, रेलवे, बीमा, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार, सब कुछ निजीकरण के लिए रखा गया। मजदूर वर्ग को ही इसका श्रेय जाता है, कि उसने निरंतर संघर्षों, अन्य कारकों के साथ, कुछ हद तक इसे रोका जा सका है।

देश को गैर–औद्योगिकीकरण की ओर ले जाते हुए, देश के संसाधनों को देशी–विदेशी कॉरपोरेट्स के हाथों गिरवी रखना, साम्राज्यवाद को दण्डवत प्रणाम करना, भाजपा और मोदी का 'राष्ट्रवाद' और 'देशभक्ति' का ब्रांड यही है! क्या कोई इससे भी अधिक पाखंडी हो सकता है?

आम जनता के कल्याण पर व्यय, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, में वृद्धि करने की सख्त मनाही है, नवउदारवादी एजेंडे के तहत बिलकुल भी नहीं। लेकिन सत्ताधारी दलों को हर बार जब चुनाव का सामना करना है, तब वे असहज सवालों का सामना करते हैं। तो, चुनाव पूर्व विभिन्न योजनाओं की घोषणाऐं, ये जुमले, जनता को भ्रम में रखने और उनके वोट प्राप्त करने के लिए केवल रस्मी समारोह हैं। वास्तव में उन्हें देश के सर्वाधिक अमीरों और आम जनता के बीच अपनी सेवाओं को विभाजित करने का एक अभिनव तरीका निकाला है। आम लोगों को लुभाऐं और चुनाव से पहले आकर्षक वादों के साथ उन्हें खुश करें। उनके वोट हासिल करें और सत्ता में आ जाऐं। हाथों में ताकत आने पर, सर्वाधिक अमीरों, बड़े कॉरपोरेट्स और व्यवसाईयों की सेवा करें। अगले चुनाव तक जनता का जीवन नरक बनाने के लिए!

**खतरनाक, विभाजनकारी, विघटनकारी**

जो बात सबसे खतरनाक है, वह यह है कि भाजपा और उसके वैचारिक गुरु, आरएसएस की विभाजनकारी और विघटनकारी कारगुजारियाँ इस मोदी सरकार के तहत अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच गई हैं।

यह सर्वविदित है कि भाजपा और आरएसएस की 'मनुवाद' के प्रति प्रतिबद्धता है, जो 'वर्णाश्रम धर्म' के तहत दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को हीन प्राणी के रूप में दबाती है और नियंत्रण में रखती है। आरएसएस और भाजपा इसे लेकर गर्व महसूस करते हैं। क्या कुछ दलितों के पैर धोने से मेनहोलों में सैकड़ों दलितों को मरने की इजाजत मिल जाएगी? या दलित महिलाओं को ऐसी दयनीय स्थिति में फेंकने के लिए जो उन्हें एक या दो रोटियों के बदले में सूखे शौचालयों से मानव मल को साफ करने के लिए मजबूर कर रही हैं?

हमारे भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृति और विज्ञान में जो सबसे अच्छा है, उसे बढ़ावा देने के बजाय, आरएसएस और भाजपा 'राष्ट्रवाद' के नाम पर रुढ़िवादी, प्रतिगामी और अवैज्ञानिक विचारों को बढ़ावा देते हैं; ऐसे विचार जो दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को दबाने और अमीरों, तथाकथित 'उच्च जाति' और समाज के प्रमुख वर्ग को लाभान्वित करते हैं। वे धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर लोगों को विभाजित करने और उनकी एकता को बाधित करने के लिए विषैले विचारों का फैलाव करते हैं। इस प्रकार

वे एकजुट संघर्षों को कमजोर करके और मजदूरों को आपस में लड़ाकर, अपने कॉरपोरेट आकाओं की सेवा करते हैं। यह मोदी सरकार नवउदारवादी नीतियों के आक्रामक कार्यान्वयन के साथ ही साथ जहरीली और विभाजनकारी सांप्रदायिक विचारधारा के अपने अनुसरण के कारण दोहरी खतरनाक है।

मोदी शासन के तहत एक लड़के और लड़की के बीच प्यार, विश्वास, खान–पान, संस्कृति जैसी सभी मानवीय भावनाओं का उपयोग लोगों को आपस में लड़ाने, भीड़ हत्या के लिए किया गया है, जिससे पूरे समाज में ध्रुवीकरण होता है। क्या इससे ज्यादा क्रूर और अमानवीय भी कुछ हो सकता है? क्या देश ने कभी ऐसी स्थिति देखी है जहाँ संविधान की शपथ लेकर, प्रधान मंत्री, हमारे संविधान में निहित सभी नागरिकों के लिए समानता के मूल्यों के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभियान चला रहे हैं? प्रधान मंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई, का विरोध करने का यह अनोखा गौरव प्राप्त हुआ। महिलाओं की समानता के प्रति भाजपा और आरएसएस के रवैये को उजागर करने के अलावा, यह राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए फड़फड़ाने वाले उनके अवसरवादी रुख को भी उजागर करता है। बेशक, केरल की जनता, महिलाओं और पुरुषों और एलडीएफ सरकार ने प्रभावी ढंग से उसके सभी जघन्य प्रयासों को विफल कर दिया।

लेकिन मोदी और उनकी भाजपा के लिए, उनके और उनकी सत्ता की भूख के बीच कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे सैनिकों की कुर्बानियाँ भी उनकी सत्ता की हवस का औजार बन जाती हैं। मोदी सरकार ने सामान्य तौर पर हमारे सैनिकों की स्थितियों में सुधार पर नाममात्र का ध्यान दिया। इसने सशस्त्र बलों की वन रैंक वन पेंशन की वास्तविक माँग की उपेक्षा की। यह हमारे सैनिकों की कठोर कार्य स्थितियों के प्रति पूरी तरह से लापरवाह रही है। इसने उन्हें सुधारने और उन्हें कुछ राहत प्रदान करने के लिए इन सभी वर्षों में कुछ नहीं किया। अब, यह उनके बलिदानों से राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। क्या इससे ज्यादा और नीच कोई बात हो सकती है?

## लोगों की आजीविका के मुद्दों पर गहरी खामोशी

अयोध्या का उपयोग करें; सबरीमाला का उपयोग करें; गाय का उपयोग करें; सैनिक का उपयोग करें; किसी भी बारे में बात करो लेकिन जनता की आजीविका से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर नहीं। वोट हासिल करने के लिए अब भाजपा की यही रणनीति बन गई है। मजदूर और मेहनतकश जनता इसकी अनुमति नहीं दे सकते और देनी भी नहीं चाहिए। भाजपा को फिर से सत्ता में आने का मतलब है कि खुद को बड़े कॉरपोरेट्स के हितों के लिए गिरवी रखने की अनुमति देना; इसका मतलब है कि खुद को आत्मसमर्पण करके गुलामी की स्थिति में धकेल दिया जाना; इसका अर्थ है कि एक सत्तावादी शासन के लिए हमारे मूल लोकतांत्रिक और श्रम अधिकारों को खोने के लिए सहमत होना; इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त के दबाव के आगे झुकना और हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता को खोना है। कामकाजी जनता, राष्ट्र के निर्माता और रक्षक के रूप में, ऐसा कभी नहीं होने देंगे।

## 'वर्कर्स चार्टर'

यही कारण है कि दस केंद्रीय ट्रेड यूनियन जो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा, उनकी कामकाजी परिस्थितियों की रक्षा करने और लूटखसोट की नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे हैं, ने 5 मार्च 2019 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित किया। उन्होंने सर्वसम्मति से एक 'वर्कर्स चार्टर' को पारित किया और माँग की कि सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणापत्र में इन्हें शामिल करें। सम्मेलन ने मजदूर वर्ग का, उस भाजपा को हराने का आह्वान किया, जिसकी सरकार ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की बार–बार अपील के बावजूद इन मुद्दों की अवमानना की है। इसने पिछले पांच वर्षों के दौरा 3 देश व्यापी आम हड़तालों और कई महत्वपूर्ण अभिवेदनों के माध्यम से बार–बार उठायी गयी मजदूरों की माँगों पर कोई भी ध्यान देने से इंकार किया। कन्वेंशन ने जोर देकर

कहा कि राष्ट्र को बचाने के लिए मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी भाजपा को हराना मजदूर वर्ग की जिम्मेदारी है। कन्वेंशन में अपनाए गए 'वर्कर्स चार्टर' सहित प्रस्ताव को अनुलग्नक में दिया गया है।

**विकल्प**

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मोदीनीत भाजपा सरकार को हराना होगा। उसे एक और मौका लेने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही, हमें हमारे अपने अनुभवों के आधार पर यह भी पहचानना होगा कि कौन, कौन सी पार्टी और कौन सी ताकतें हमारी माँगों का समर्थन करती हैं, हमारे संघर्षों का समर्थन करती हैं। हमें उनके लिए मतदान करके संसद में उनकी उपस्थिति को मजबूत करना होगा ताकि हमारे हितों को प्रभावी ढंग से पेश किया जा सके, और हमारे संघर्ष चर्चाओं में बने रहें और हमारे मामले संसद के अंदर उठायें जा सकें।

वह ताकत क्या है? ऐसी कौन सी पार्टी है?

**किस पार्टी या पार्टियों ने लगातार विनाशकारी नवउदारवादी नीतियों का विरोध किया है?**

जबकि कांग्रेस सरकार ने उन्हें शुरू किया था, केंद्र में लगातार सरकारों ने भी इसे जारी रखा है। भाजपा सरकारें और अधिक आक्रामक थीं। यह माकपा और अन्य वामपंथी दल हैं, जिन्होंने 1991 के बाद से लगातार, इन नीतियों का विरोध करते हुए कहा है कि ये नीतियाँ हमारी बहुसंख्यक आबादी के काम करने और रहने की स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी। अब, हम ने देखा है कि वह सही साबित हुआ है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में वाम नेतृत्व वाली राज्य सरकारें अपने सीमित अधिकारों और भारत सरकार के दबाव के बावजूद अपने राज्यों में इन्हें लागू करने से बचती रही हैं।

**किस पार्टी या पार्टियों ने श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन का लगातार विरोध किया?**

भाजपायी सरकारों ने श्रम कानूनों में तेजी से संशोधन किऐ हैं, ताकि तथाकथित 'लचीलापन' प्रदान किया जा सके, हालांकि यह प्रक्रिया काँग्रेस शासन के तहत नवउदारवादी नीतियों के आगमन के साथ शुरू हुई। क्षेत्रीय दलों द्वारा शासित कई राज्य सरकारों ने भी इनमें संशोधन किऐ हैं।

यह केवल वामपंथी पार्टियाँ ही हैं जिन्होंने संसद के अंदर और बाहर संघर्ष के क्षेत्र में ऐसे संशोधनों का लगातार विरोध किया है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में वाम नेतृत्व वाली राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों में ऐसे संशोधन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने नियोक्ताओं और मजदूरों के बीच विवादों के मामले में और मजदूरों के संघर्ष और हड़ताल में नियोक्ताओं की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए पुलिस को अनुमति देने से इन्कार कर दिया।

जब संसद में वाम दलों की उपस्थिति मजबूत थी, यू.पी.ए.–1 सरकार अपने अस्तित्व के लिए वामपंथी समर्थन पर निर्भर थी तो श्रम कानूनों में कोई भी मजदूर विरोधी संशोधन नहीं किया जा सका। वास्तव में तो संसद के बाहर ट्रेड यूनियन प्रतिरोध, और संसद के अंदर वामपंथी दलों के दबाव ने यू.पी.ए.–1 सरकार को, वाजपेयीनीत भाजपा सरकार द्वारा जारी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेन्ट की अनुमति देने वाली अधिसूचना को वापस लेने के लिए मजबूर किया।

**किस पार्टी या पार्टियों ने मजदूरों के कल्याणकारी लाभों पर रोक लगाने का विरोध किया?**

यह माकपा और वामपंथी पार्टियाँ हैं जो मजदूरों के लिए कल्याणकारी लाभों के हर एक विरोध करने में लगातार साथ रही हैं। वामपंथियों ने पेंशन की सुनिश्चित लाभ प्रणाली को सुनिश्चित योगदान प्रणाली में बदलने का विरोध किया। वामपंथियों ने वाजपेयी शासन के दौरान या यू.पी.ए.–1 शासन के दौरान पी.एफ. आर.डी.ए विधेयक को पेश नहीं होने दिया। जब संसद में वामपंथियों की मौजूदगी कमजोर थी तो यू.पी.ए.

–2 ने विपक्षी भाजपा के समर्थन से इसे पारित करा लिया। संसद के दोनों सदनों में बिल के खिलाफ मतदान करने वाले वामपंथी सांसद और सिर्फ वामपंथी सांसद ही थे।

संसद में इसके पारित होने के बाद भी, पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में वामपंथी सरकारों ने एनपीएस को लागू करने से इन्कार कर दिया है। दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार ने संसद में विधेयक पारित होने से पहले ही इसे लागू करना शुरू कर दिया। केरल में सत्ता में आने के बाद यू.डी.एफ. सरकार ने एनपीएस को लागू करना शुरू कर दिया। एल.डी.एफ. ने राज्य में सत्ता हासिल करने के बाद, अध्ययन करके सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त किया है कि ओ.पी.एस. को कैसे लागू किया जा सकता है? त्रिपुरा में, 2018 में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने ओपीएस को निरस्त कर दिया और एनपीएस की शुरुआत की है।

**किस पार्टी या पार्टियों ने निजीकरण का लगातार विरोध किया?**

हम जानते हैं कि निजीकरण नवउदारवादी एजेंडे का एक अभिन्न अंग है। कॉंग्रेस सरकार ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की, भाजपा सरकारें एक कदम आगे निकल गईं। वाजपेयीनीत भाजपा सरकार ने तो एक विनिवेश मंत्रालय नियुक्त किया। मोदी सरकार के तहत भाजपा सरकार ने योजना आयोग को ध्वस्त कर दिया और नीति अयोग को नियुक्त किया, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश, एकमुश्त बिक्री, रणनीतिक बिक्री आदि के वास्ते, सूची तैयार करके, अलग–अलग तरीकों से निजीकरण करना है।

यह केवल वामपंथी पार्टियां ही हैं जो संसद के अंदर–बाहर दोनों ही तरह से निजीकरण का लगातार और पुरजोर विरोध करती रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के संघर्ष और पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रतिरोध के साथ, वे काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र के विघटन को रोकने में सक्षम रहे हैं, हालांकि भाजपा सरकार कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के साथ आगे बढ़ रही है। कई राज्यों में वाम नेताओं ने शारीरिक रूप से भाग लिया और निजीकरण के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के संघर्ष का नेतृत्व किया। केरल में एलडीएफ सरकार ने यूडीएफ शासन के दौरान बीमार की गयी, पीएसयू को फिर से जीवित करने के लिए कई उपाय किए हैं और उनमें से कई को लाभकारी इकाइयों में परिवर्तित किया है।

**किस पार्टी या पार्टियों ने उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मजदूर वर्ग के संघर्षों का लगातार समर्थन किया है?**

फिर, यह सिर्फ और सिर्फ वामपंथी दल ही हैं, जिन्होंने, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और स्थितियों में सुधार के लिए मजदूरों के संघर्षों का हमेशा समर्थन किया है। मजदूर वर्ग अपनी कामकाजी और रहन–सहन की स्थितियों और बुनियादी ट्रेड यूनियन एवं श्रमिक अधिकारों पर हमलों के खिलाफ 18 देश व्यापी आम हड़तालें कर चुका है। इसके अलावा, इस दौरान बीमा, बैंक, केंद्र और राज्य सरकार, बीएसएनएल, रेलवे, रक्षा, बिजली, परिवहन कर्मचारी, चिकित्सा प्रतिनिधि, योजनाकर्मी, आधुनिक निजी उद्योगों के मजदूर, असंगठित मजदूरों आदि के क्षेत्रीय संघर्ष और हड़तालें हुई हैं।

वाम दलों ने इन सभी संघर्षों और हड़तालों का समर्थन किया। वाम नेताओं ने मजदूरों के साथ एकजुटता के प्रदर्शन में शारीरिक रूप से भाग लिया है, अक्सर मजदूरों के साथ पुलिस के हमलों को झेला है। वाम सांसदों ने हमेशा संसद में उनके मुद्दों को उठाने की कोशिश की। कई बार, उन्होंने संसद के सामने हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन किए हैं।

मजदूरों की माँगों और संघर्षों के लिए वामपंथ का यह समर्थन आकस्मिक नहीं है; यह सिर्फ वोट हासिल करने के लिए अवसरवाद नहीं है। यह वामपंथी विचारधारा पर आधारित है जो शोषण को समाप्त करना चाहती है। इसीलिए संसद के अंदर और बाहर भी बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़, प्रतिबद्ध और सुसंगत रहा है।

इस चुनाव में वामपंथ का समर्थन करना और हमारी माँगों को उठाने, जब नीतियां बनाई जा रही हो उस वक्त, संसद के अंदर हमारी ओर से हस्तक्षेप करने और हमारे समर्थन के लिए, लोकसभा में अधिक वामपंथी सांसदों को भेजना ही निश्चित तरीका है। तभी सड़कों पर और कारखानों में हमारे संघर्षों का प्रतिबंब संसद के भीतर भी हो सकेगा।

इसीलिए, जहाँ भी हमारे पास एक अवसर है, वहाँ मजदूरों को वाम दलों का समर्थन करना चाहिए। साथ ही हमें इस चुनाव के दौरान मजदूरों के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करनी होगी, ताकि मजदूरों को अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं का सामना करने के लिए तैयार करने के वास्ते 'वर्कर्स चार्टर' को लोकप्रिय बनाया जा सके। यह नवउदारवादी नीतियों को पलटने के लिए व्यापक और अधिक गहन संघर्षों के लिए जमीन भी तैयार करेगा, चुनाव के बाद केंद्र में जो भी सत्ता में आएगी।

**संसाधन तो देश के पास हैं!**

एक सवाल है जो सरकार, लगभग सभी कॉरपोरेट समर्थक मीडिया और नवउदारवादी एजेंडे के समर्थक कई बुद्धिजीवियों द्वारा उठाया जाता है कि वित्तीय संसाधन कहाँ हैं? सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैसा कहाँ है? सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पैसा कहाँ है? आपके सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए पैसा कहाँ है? सरकार आप सभी को रोजगार कैसे दे सकती है? आप स्वंय क्यों नहीं खड़े होते, और उद्यम शुरू करते और स्वयं कुछ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं? आप पकौड़े क्यों नहीं बेच सकते? आप पान की दुकानें क्यों नहीं खोल सकते? आप गायों को क्यों नहीं पाल सकते? आप सब कुछ के लिए सरकार पर ही निर्भर क्यों हैं?

हम इसे बहुत स्पष्ट करते हैं। हमें पकौड़े बेचने, या पान की दुकान चलाने या गायों को पालने या कुछ भी करने से परहेज नहीं है। हम ये सब एवं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी स्थिति सुनिश्चित करे ताकि हम एक सभ्य, गरिमापूर्ण और सुविधाजनक जीवन जी सकें। यह माँगना क्या बहुत ज्यादा होगा। समस्या यह है कि सरकार की नीतियां हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रही हैं। उदाहरण के लिए, जब छोटे और मझोले उद्यमों में लाखों मजदूरों, निर्माण मजदूरों, असंगठित कामगारों आदि ने अपनी नौकरी और आमदनी को नोटबन्दी के कारण खो दिया, तो हम में से अनेकों पकौड़े बेचने वाले और पान की दुकान के मालिकों ने भी अपनी आमदनी भी खोयी। ये मजदूर ही तो हमारे ग्राहक थे। यहां तक कि हमारे बीच के चाय वालों ने भी अपने ग्राहकों और आमदनी को खो दिया।

यह अजीब और आश्चर्यजनक लग सकता है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हम ही हैं जो सरकार पर निर्भर नहीं हैं। यह तो बड़े कॉपोरेट्स और व्यावसायिक घराने हैं जो सरकारी खजाने से हमारा पैसे को चूस रहे हैं। पिछले दस वर्षों के दौरान, हर साल, सरकार के बजट रिकॉर्ड के अनुसार, सरकार बड़े कॉरपोरेट और व्यापारिक घरानों को टैक्सों में रियायतों के तौर पर 5 लाख करोड़ रुपये प्रदान करती रही है। यह पैसा किसका है और हमारे वोटों से सत्ता में आई सरकार को, कुछ एक सर्वाधिक अमीरों को हमारा पैसा क्यों दे देना चाहिए? सिर्फ इतना ही नहीं है। हर साल ये सबसे बड़े अमीरों द्वारा अपने पर लगने वाले 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक के लगे टैक्स के भुगतान में भी हीला हवाली की जाती है। इसमें बकाऐ कर्जों को भी जोड़ें, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हमारी बचत के पैसे में से इन कॉरपोरेट्स को कर्ज के तौर पर दिए गए और इन्होंने उसे वापस नहीं किया है। यह 12 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है। और वे सस्ते ऋण, मुक्त या सस्ती जमीन की माँग करते हैं, हमारे जंगलों, खानों, जल निकायों, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर नियंत्रण, इसके अलावा सरकार से नीतियों और कानूनों को अपने पक्ष में तैयार करने की अपेक्षा रखते हैं और सभी तैयार सरकारें भी उन्हें संतुष्ट करने के लिए तैयार रहती हैं। हम केवल यह माँग करते हैं कि इस अन्याय को रोका जाए और जनता के पैसे को, कुछ अमीरों और कॉरपोरेटस् के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए खर्च किए जाऐ।

अभी हाल ही में कुछ बुद्धिजीवियों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों ने नई दिल्ली में मीटिंग की और दिखाया कि कैसे जनता की न्यायोचित माँगों को पूरा करने के लिए संसाधनों को आसानी से जुटाया जा सकता है। उनके अनुसारः

- 20% विरासत कर, 10 करोड़ रुपये से ऊपर की संपत्ति के लिए बढ़ते स्लैब में वेल्थ टैक्स, लाभ से नहीं, टर्नओवर से जुड़ा हुआ कॉरपोरेट सोशल टैक्स, कम कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टैक्स, प्रदूषण टैक्स आदि सरकार को सक्षम करेगा किः
  - न्यूनतम वेतन पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी वयस्कों को 150 दिनों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विस्तार कर सके
  - सभी स्तरों पर सार्वजनिक शिक्षा का विस्तार करके, गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर सके, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में सभी रिक्त पदों को भर सके
  - सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं में (जैसे आंगनवाड़ी वर्कर व हैल्पर, आशा, मध्याह्न भोजन मजदूर आदि) को नियमित सरकारी कर्मचारी तौर पर मान्यता दे सके
  - ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन की दुकानों के माध्यम से दी जा रही वस्तुओं में दाल और तेल को जोड़ा जा सकेगा
  - उन सभी महिलाओं को 3 महीने के लिए न्यूनतम वेतन का मातृत्व लाभ, जो नियोक्ताओं द्वारा कवर नहीं किया जा रहा है
  - आधे न्यूनतम वेतन के बराबर सभी को पेंशन दी जा सके
- सरकार धीरे–धीरे 5 वर्षों में, स्वास्थ्य देखभाल पर सरकारी खर्च को जीडीपी के 3% के बराबर बढ़ाने के लिए सक्षम हो जाएगीः
  - सभी स्तरों पर सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने, मुख्य रूप से प्राथमिक, रोकथाम और प्रोत्साहक देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सके
  - आवश्यक स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करके स्वास्थ्य के आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर सके
  - सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन और अन्य हितलाभों के साथ, एक के बजाय दो आशाओं को नियुक्त कर सके
  - मेडिकल कॉलेजों को नियमित करें, कैपिटेशन फीस को समाप्त करें, ट्यूशन फीस को घटाऐं और निजी शिक्षा में सुधार करें
- शिक्षा पर खर्च जीडीपी के न्यूनतम 6% तक बढ़ाने से सरकार सक्षम हो जाएगीः
  - ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकारों का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय ग्राम शिक्षा कोष स्थापित करने में
  - ग्रामीण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले ग्रामीण कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना कर सके
  - सभी स्तरों पर शिक्षकों के पदों में रिक्तियों को भर सके
  - अगले पाँच वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दस गुना वृद्धि कर सके
  - कस्तूरबा बालिका विद्यालय को उन्नत करें और कॉलेज स्तर तक के विशेषाधिकार प्राप्त छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करें

**आखिर कमी क्या है, कमी तो राजनीतिक इच्छाशक्ति में है**

इसलिए, साथियों और दोस्तों, यह स्पष्ट है कि देश के पास पर्याप्त संसाधन हैं। कहावत जाता है कि ' जहाँ चाह, वहाँ राह'। रास्ता तो है। अगर कमी है तो वह है देश पर शासन करने वाली भाजपा और अन्य राजनीतिक पार्टियों की इच्छाशक्ति की।

भाजपा को हराना हमारा तात्कालिक और जरूरी काम है। यह वक्त की जरूरत है। मजदूर वर्ग को इस महत्वपूर्ण लड़ाई का नेतृत्व आगे बढ़कर करना चाहिए। इसके अलावा, मजदूर वर्ग के रूप में, हमें संसद में अपने सच्चे दोस्तों, वामपंथियों की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए, वो सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं।

साथ ही साथ, सरकार जो भी सत्तासीन हो, अपनी वास्तविक माँगों को हासिल करने के लिए; यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता के धन को जनता के कल्याण के लिए लगाया गया है, न कि कुछ एक की जेबें भरने के लिए, हमें अपने एकजुट संघर्ष को जारी रखना है। इसके लिए बहुत व्यापक एकजुट संघर्ष की आवश्यकता है, एक उच्च स्तर का संघर्ष जो कि नवउदारवादी नीतियों के उलटने के उद्देश्य से हो। हम मजदूर–समर्थक, जन–समर्थक वैकल्पिक नीतियां चाहते हैं। और यह संभव है। हम इसे हासिल कर सकते हैं। मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी, राष्ट्र–विरोधी भाजपा की हार इसके लिए एक पूर्व शर्त है। हमें इन संसदीय चुनावों में ऐसा करना चाहिए और अपने अंतिम लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े संघर्षों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए।

**अनुलग्नक**

**नई दिल्ली के कन्स्टीट्यूशन क्लब एनेक्सी में 5 मार्च को आयोजित**

**श्रमिकों के राष्ट्रीय कन्वेशन में पारित**

**श्रमिकों का माँग पत्र**

प्रिय मजदूर भाइयों और बहनों!

हम, मजदूर, किसान और अन्य मेहनतकश लोग हमारे देश के लिए धन का उत्पादन करते हैं। यह वह है जो हमारे देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देता है। फिर भी हमारी ज्वलंत समस्याओं, हमारी गंभीर समस्याओं और हमारी तात्कालिक माँगों को केंद्र में बैठी सरकार द्वारा पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है।

संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन पिछले कई वर्षों से मजदूर वर्ग से जुड़े विषयों को बार–बार उठाता रहा है। हमने विभिन्न माध्यमों से बार–बार कोशिश की है, अभी हाल ही में दो दिवसीय की देश व्यापी आम हड़ताल है जिसे मेहनतकश लोगों के सभी तबकों से बड़े पैमाने पर समर्थन मिला है, हमारी माँगों को उनका निवारण करने के वास्ते सरकार के संज्ञान में लाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ।

आज देश गहरे संकट में है। हमारे दैनिक जीवन के सभी पहलुओं, जैसे कि किसानों और खेत मजदूरों और अन्य कामकाजी जनता संकट में हैं। कड़ी मेहनत से हासिल ट्रेड यूनियन और श्रम अधिकारों पर हमला हो रहा है। कृषि संकट और ग्रामीण संकट निरंतर जारी है। हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। खेत मजदूरों और गरीब किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में कोई काम नहीं मिलता है और बड़ी संख्या में ये लोग शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ, सामाजिक सुरक्षा के बिना कम भुगतान के रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

सभी आवश्यक वस्तुओं, आवास, परिवहन, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन मजदूरों की मजदूरी रुक गई है। कई क्षेत्रों में और असंगठित क्षेत्र में अधिकांश मजदूर ठेकेदारी में, कैजुअल और दैनिक वेतन भोगी मजदूर हैं, भारी मूल्य वृद्धि के कारण वास्तविक वेतन में कमी आई है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में सबसे बुरी तरह से पीड़ित होने वाली श्रमशक्ति किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा से

वंचित है। चाय और कॉफी बागान में मजदूरों को नियोक्ताओं द्वारा भगा दिया जाता है और बीमार उद्योगों में काम करने वालों की नौकरियाँ जाने को हैं।

रप्टाकोस एण्ड ब्रेट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही साथ भारतीय श्रम सम्मेलन की सर्वसम्मति की सिफारिश एवं 15$^{वें}$ आईएलसी के सूत्र के अनुसार न्यूनतम वेतन को अधिसूचित करने और लागू करने से सरकार इनकार कर रही है।

यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आई.एल.सी. की सर्वसम्मत सिफारिशों के अनुसार, स्थायी मजदूरों के समान काम करने वाले ठेका व कैजुअल मजदूरों को स्थायी मजदूरों के समान वेतन को लागू नहीं कर रही है।

आई.एल.सी. की सर्वसम्मत की सिफारिशों के बावजूद सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं में लगी लगभग 1 करोड़ मजदूरों जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं, को अपना मजदूर नहीं मान रही है। यह 'मानदेय'/'इन्सेन्टिव' आदि के नाम पर बेशर्मी के साथ कम पारिश्रमिक का भुगतान करती है। महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी निरंतर गिरावट पर है। महिला मजदूरों के खिलाफ भेदभाव जारी है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न बढ़ रहा है।

बेरोजगारी केवल युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि उन सैकड़ों हजारों मजदूरों के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जो उद्योगों की बन्दी और कामबन्दी के कारण अपनी नौकरी खो रहे हैं। रोजगार सृजन वास्तव में अधिकांश श्रम गहन क्षेत्रों में नकारात्मक हो गया है।

मजदूरों और उनके ट्रेड यूनियनों के कड़े विरोध के बावजूद, सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स' की सीढ़ी पर चढ़ने के अपने लक्ष्य के लिए, श्रम कानूनों में संशोधन के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। इसने 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रम कोड में विलय करने का फैसला किया है। इरादा मजदूरों को उन छोटे अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित करना है जो उन्होंने दशकों के संघर्षों और बलिदानों के माध्यम से हासिल किए हैं और कुल मिलाकर उन्हें नियोक्ताओं की आभासी गुलामी में धकेलना है।

श्रम कानूनों में संशोधन से पहले ही इसने नियोक्ताओं को उपहार स्वरुप 'हायर एण्ड फायर' का अधिकार देने का एक अभिनव तरीका खोज लिया है। इसने एक अधिसूचना के माध्यम से सभी क्षेत्रों में निश्चित अवधि के रोजगार को लागू किया है। सरकार एन.ई.ई.एम. (नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट मिशन) और एन.ई.टी.ए.पी. (नेशनल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अपरेंटिसशिप प्रोग्राम) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से, स्थायी रोजगार को पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है। यहाँ तक कि ठेका कर्मचारियों को भी अप्रेन्टिसों और प्रशिक्षुओं द्वारा हटाया जा रहा है। हमारे युवाओं का भविष्य स्थायी रोजगार, नौकरी की सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से खराब दिख रहा है।

सरकार विनिवेश, रणनीतिक बिक्री, एकमुश्त बिक्री आदि के माध्यम से निजीकरण की अपनी नीति का भी कठोरता से पालन कर रही है, इसने प्रतिरक्षा उत्पादन, रेलवे, बीमा, बैंकिंग, खुदरा व्यापार आदि जैसे सभी रणनीतिक क्षेत्रों में 100% एफ.डी.आई की अनुमति दे दी है। कोयला खनन क्षेत्र के विकेंद्रीकरण की दिशा में और निजी वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति दी। रेलवे को निजी क्षेत्र को सौंपने के लिए रेलवे के आसपास की जमीनों के साथ 600 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑर्डीनेन्स फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित हथियारों और महत्वपूर्ण उपकरणों सहित लगभग 272 वस्तुओं को आउटसोर्स किया गया है। 'मेक इन इंडिया' के दावों के विपरीत, ये सारे कदम, पिछले छह दशकों के दौरान विकसित हमारी निर्माण क्षमता और शोध की पहल को बर्बाद कर देंगे। ऊर्जा, पेट्रोलियम, दूरसंचार, इस्पात, नागरिक उड्डयन, बंदरगाह, गैर कोयला खदान, सड़क परिवहन आदि जैसे अन्य सामरिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी सरकार के निजीकरण के हमलों की जद में हैं।

सरकार ने, अपने सभी नागरिकों को सार्वभौमिक शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के अपने संवैधानिक दायित्वों की भी पूरी तरह से उपेक्षा की है। जबकि सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों को वित्त से वंचित रखा जा रहा है और पूरी तरह से उपेक्षित किया जा रहा है। जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी कंपनियों को छूट और रियायतें प्रदान की जा रही हैं।

पहले से चलन में मुद्रा के 86% को अचानक वापस लेकर की गयी नोटबन्दी के कारण, न केवल आम जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, बल्कि लाखों छोटे और मध्यम उद्योग धन्धे बंद हो गये। असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों को अपने रोजी–रोटी से हाथ धोना पड़ा है। लाखों छोटे किसानों की आमदनी समाप्त हो गयी। नोटबन्दी की घोषणा करते समय, घोषित लक्ष्यों में से एक भी हासिल नहीं किया जा सका। केवल डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों को बहुत अधिक फायदा हुआ।

जीएसटी ने भी छोटे उद्योगों और इन में कार्यरत लाखों मजदूरों के जीवन पर कहर बरपाया है। हजारों छोटे एवं मध्यम उद्यमों और खुदरा व्यापारियों को इसके प्रभाव से उबरना अभी भी बाकी है।

हजारों करोड़ रुपये की धनराशि, जो मजदूरों और आम जनता ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बचाया, उसे वह कॉरपोरेट ठगों द्वारा लूटा गया है और बकाऐदार बनकर देश से पलायन कर रहे हैं। बैंकों के 80% से अधिक एनपीए बड़े कॉरपोरेट घरानों के कारण हैं, जो कुल संख्या में पचास से अधिक नहीं। जो सरकार गरीबों की बुनियादी जरूरतों और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धन न होने की घोषणा करती है, वही सरकार देशी–विदेशी बड़े कॉरपोरेटस्, को हर साल 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कर रियायतें और अन्य छूट प्रदान कर रही है।

यह स्पष्ट है कि यह सरकार अपने कॉरपोरेट आकाओं के मुनाफों के लिए ओवरटाइम काम कर रही है। वह अपने विरोध और नीतियों के प्रतिरोध को दबाने के लिए सत्तावादी कदम उठा रही है। दलितों, अल्पसंख्यकों और मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करने वाले लोगों, सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 'राष्ट्र–विरोधी', घोषित करके सताया और यहाँ तक कि मारा जा रहा है।

इतना भर ही नहीं है। केंद्र सरकार नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देने वालों और विभिन्न साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा साम्प्रदायिक जहर फैलाने को प्रोत्साहित भी कर रही है। यह मजदूरों और मेहनतकश जनता के अन्य तबकों को विभाजित करने, उनकी एकता को तोड़ने और नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ उनके संघर्ष को कमजोर करने के लिए है। धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर घृणा और शत्रुता को बढ़ावा देने की ये कोशिशें मजदूर वर्ग की उस एकता के लिए एक गंभीर खतरा हैं, जो हमारे जीवन और आजीविका पर हमला कर रही नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ हमारे संघर्षों को तेज करने के लिए, हमारी आज की अतिविशिष्ट आवश्यकता है।

हम, मजदूर पिछले दो दशकों से इन नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे हैं। हमने इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय हड़तालों के साथ संयुक्त रूप से 18 देशव्यापी आम हड़तालें की हैं। इन हड़तालों में मजदूरों की भागीदारी में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है।

लेकिन जब चुनाव आते हैं, जिसके माध्यम से हमारी आजीविका और जीवन के हालात से जुड़ी नीतियाँ बनाने वाली सरकारें, निर्वाचित होती हैं, तो अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दल हमारे बारे में या हमारे मुद्दों पर पूरी तरह से चुप्पी साध लेते हैं। चुनाव के दौरान दिए गए भाषणों में, हमारे मुद्दे, हमारी माँगें, मजदूरों एवं मेहनतकश जनता के अन्य तबकों की माँगों, यहाँ तक कि सम्मानजनक व मानवीय जीवन और आजीविका से जुड़े एकदम बुनियादी मुद्दों व समस्याओं को भी कोई स्थान नहीं मिलता है। कई राजनीतिक दल धर्म, जाति या उप–जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर जनता को 'वोट बैंक' मानने की कोशिश करते हैं और उन्हें मान भी लिया जाता है। अपने चुनावी फायदे की खातिर, जनता को भड़काने और ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसे मुद्दों को उछाला जाता है जिनका हमारे दिन–प्रतिदिन की समस्याओं या माँगों से कोई सम्बन्ध नहीं

होता है। सत्ता में आने के बाद, हम पार्टियों द्वारा पूरी तरह से उपेक्षित ही होते हैं। सरकार के लोग अपने कॉरपोरेट आकाओं के आदेशों का पालन शुरू करते हैं और इसी प्रक्रिया में खुद को समृद्ध करते जाते हैं।

यह कब तक जारी रहना चाहिए? मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीतियों पर आक्रामक रूप से चलने वाली वर्तमान भाजपानीत सरकार को हराने की जरूरत है, हमें भी इन नीतियों को उलटने और वैकल्पिक मजदूर–समर्थक और जन–समर्थक नीतियों को बनाने की माँग करनी चाहिए, चाहे जो भी सरकार केंद्र की सत्ता में आए।

यही समय है कि चुनाव के दौरान मजदूरों के मुद्दों को उठाया जाये। यही समय है कि चुनाव के दौरान मजदूरों के मुद्दे भाषणों का एक बड़ा हिस्सा बने। हमें वोट देने के लिए तय करने से पहले श्रमिकों के माँगपत्र को रखकर, राजनीतिक दलों को इन मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए मजबूर करना होगा।

**मजदूरों का माँग पत्र**

1. राप्टाकॉस एंड ब्रेट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों जिन्हें बाद के 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन में एकमत से दोहराया गया है; के अनुसार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करें,
2. स्थायी प्रकृति के कार्य में ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार स्थायी श्रमिकों के समान काम करने वाले ठेका मजदूरों को समान वेतन एवं हितलाभों को लागू करो;
3. स्थायी और बारहमासी प्रकृति की नौकरियों की आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी पर रोक लगे;
4. संविधान के अनुसार, और समान पारिश्रमिक अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दोहराया गया, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का सख्ती से कार्यान्वयन हो;
5. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक खरीद प्रणाली को मजबूत करो;
6. किसानों को ऋण माफी और छोटे और सीमांत किसानों के लिए संस्थागत ऋण सुनिश्चित करो;
7. खेत मजदूरों सहित सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कामकाजी परिस्थितियों को कवर करने वाला व्यापक कानून हो;
8. आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल ठोस उपाय करें; आवश्यक वस्तुओं में सट्टा व्यापार पर प्रतिबंध; सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार और मजबूत करना; पीडीएस की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार से जोड़ने की अनिवार्यता समाप्त हो;
9. श्रम गहन प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के माध्यम से बेरोजगारी पर रोक लगायें; नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता को रोजगार सृजन के साथ जोड़ा जाये; सरकारी विभागों में सभी रिक्त पदों को भरा जाये; सरकारी पदो ंके 3% वार्षिक समर्पण और भर्ती पर प्रतिबंध को हटाया जाये;
10. सभी को सूचकांकित पेशन रु० 6,000 प्रतिमाह को सुनिश्चित किया जाये;
11. विभिन्न सरकारी योजनाओं में कार्यरत कर्मियों को, जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत आंगनवाड़ीकर्मी और सहायिका, आशा, मध्यान्ह भोजन श्रमिक, पैरा शिक्षक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारी, आदि और अन्य शामिल हैं, को मजदूर के रूप में मान्यता दी जाये और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एवं उन सभी को पेंशन आदि सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ को सुनिश्चित किया जाये;
12. फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' के प्रावधान को तुरंत को निरस्त किया जाये जो कि आई.एल.ओं. की सिफारिश 204 की मूल भावना का उल्लंघन है जिसे भारत ने अंगीकार किया है;

13. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश/रणनीतिक बिक्री को रोका जाये; सार्वजनिक हित में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों को पुनरुद्धार पैकेज दिये जायें;
14. बीमार जूट उद्योगों और चाय बागानों के पुनरुद्धार और संचालन, क्योंकि इन उद्योगों में हजारों मजदूर बंद होने के कारण संकट, कुपोशण और मौतों का सामना कर रहे हैं;
15. रेलवे, रक्षा, पोर्ट एण्ड डॉक, बैंकों, बीमा, कोयला आदि के निजीकरण के निर्णय को रद्द करें। कोयला खानों के वाणिज्यिक खनन की अनुमति देने के निर्णय को तुरंत रद्द करें;
16. प्रतिरक्षा उत्पादन का निजीकरण करना और रक्षा इकाइयों को बंद करना। प्रतिरक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राज्य स्वामित्व वाले रक्षा उद्योग को मजबूत और विस्तारित करें;
17. बैंकों के खराब ऋणों की वसूली के लिए कड़े कदम, जानबूझकर कॉरपोरेट बकायेदारों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करना, पेनल्टी और उच्च सेवा शुल्क के माध्यम से बैंकों के बुरे ऋणों के बोझ को जनता पर डालना बन्द करें; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय और समामेलन रोकें; बैंक शाखाओं का बंद होना रोका जायें; मुद्रास्फीति की दर को पूरा करने के लिए बैंक जमा पर ब्याज दर बढ़ाऐं;
18. सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण बिना किसी सामर्थ्य शर्त पर जोर दिए बिना ही निश्चित समय सीमा में हों;
19. मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2017, और बिजली (संशोधन) विधेयक, 2018 को वापस लिया जाये;
20. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मुद्दों को तुरंत हल किया जाये;
21. एनपीएस को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाये;
22. श्रम कानूनों और संहिताओं में मजदूर–विरोधी और मालिकान–समर्थक संशोधन रोके जायें; मौजूदा श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित किया जाये।
23. महिला मजदूरों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, मातृत्व हितलाभ और क्रेच सुविधाएं लागू किया जाये। सरकार द्वारा प्रस्तावित मातृत्व लाभ अधिनियम के संशोधित प्रावधान का पालन करने वाले नियोक्ताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए;
24. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम का सख्त कार्यान्वयन हो; राजनीतिक भागीदारी को तत्काल बढ़ाने के लिए, राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करें;
25. कार्यस्थल अधिनियम में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम का सख्त कार्यान्वयन;
26. घरेलू कामगारों पर आई.एल.ओ. कन्वेंशन 189 के साथ ही संगठित होने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी पर आई.एल.ओ. कन्वेंशन 87 और 98 को फिर से अंगीकार करें;
27. एक संहिता में 13 अधिनियमों के विलय के माध्यम से ओएसएच और कल्याण प्रावधानों को कम करने; मौजूदा अधिनियमों और नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने; कारखाना निरीक्षकों, खान निरीक्षकों आदि के रिक्त पदों और निरीक्षणों पर प्रतिबंध; ओ.एच.एस. और पर्यावरण से संबंधित आई. एल.ओ. कन्वेंशन सी–155 और 164 की सिफारिशों की पुष्टि करें; दुर्घटना के कारण मानव और वित्तीय हानि का त्रिपक्षीय ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए;
28. द्विपक्षीयता और त्रिपक्षीयता को मजबूत करें; हर प्रतिष्ठान में नियोक्ताओं द्वारा ट्रेड यूनियन की मान्यता अनिवार्य करें; ट्रेड यूनियनों के साथ चर्चा के माध्यम से आम सहमति के बिना श्रम से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित, सार्थक सामाजिक संवाद सुनिश्चित करें;
29. कॉपोरेट्स को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती करें;
30. संविधान में संशोधन करके काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकार का रुप दिया जाये;

31. मनरेगा के तहत 300 दिन का काम; शहरी क्षेत्रों को कवर करने के लिए समान कानून बनाना; न्यूनतम मजदूरी तय करें जो राज्य के न्यूनतम मजदूरी से कम न हो;
32. मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को रोकने के लिए कड़े कदम; सीवर की सफाई करते समय मरने वाले के परिवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मुआवजा देय हो;
33. एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम का सख्त कार्यान्वयन;
34. एस.सी./एस.टी. के लिए आरक्षित पदों में सभी बैकलॉग को तुरंत भरें; निजी क्षेत्र के रोजगार में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नौकरियों में आरक्षण हो;
35. आदिवासियों को उनके आवास से बेदखल न किया जाये, आदिवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम का सख्त कार्यान्वयन हो;
36. अंतर–जातीय और अंतर–धार्मिक विवाह के लिए चुनने वाले जोड़ों की रक्षा करना; तथाकथित 'ऑनर किलिंग' को प्रोत्साहित/समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें;
37. बलात्कार के सभी दोषियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अन्य मामलों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करें; महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अपराधों को ''दुर्लभतम दुर्लभ'' के रूप में मृत्युदंड दिया जाए;
38. संविधान के अनुच्छेद 51 ए के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, जो सभी नागरिकों को सद्भाव, सामान्य भाईचारे की भावना, विविधताओं को बढ़ावा देने और धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और अनुभागीय संस्कृति को स्थानांतरित करने और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक नीतियों को अस्वीकार करने के लिए कहता है;
39. तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ बारहवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा; शिक्षा के बजट का आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत होना चाहिए;
40. सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल; विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना; स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को जीडीपी के 5 प्रतिशत तक बढ़ाऐं;
41. पीने योग्य पानी पूरी आबादी को उपलब्ध कराया जाऐ;
42. सड़क विक्रेताओं का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए; राज्यों को उसी के अनुसार नियम बनाने चाहिए;
43. घरेलू आधारित मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए जो महिला वर्चस्व वाला सेक्टर है, आई.एल.ओ. कन्वेंशन 177 जो घरेलू आधारित मजदूरों के लिए है, एक अधिनियम के साथ पुष्टि की जाऐ;
44. मजदूरों के कल्याण के लिए गठित सभी कल्याण बोर्डों में सक्रिय और प्रभावी भागीदारी होनी चाहिए; बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत एकत्र की गई उपकर की अप्रयुक्त राशि मजदूरों के कल्याण पर ही खर्च की जानी चाहिए; कल्याण बोर्डों में मजदूरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए; बोर्डों के कामकाज को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि मजदूर इस बोर्ड के साथ पंजीकृत हो सकें और कल्याणकारी लाभों तक आसान पहुंच बना सकें;
45. राज्यों को सभी स्तरों पर शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अपशिष्ट पुर्ननवीनीकरण को शामिल करने के लिए नियम बनाने का निर्देश सरकार को देना चाहिए;

कार्यशील पत्रकार अधिनियमों में सभी मीडिया संगठनों के पत्रकारों और कामगारों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनको अच्छा वेतन मजदूरी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके; मीडिया संगठनों में वेतन को संशोधित करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पत्रकारों के लिए नए वेतन बोर्ड का गठन किया जाये।

हस्ताक्षर